



नवम्बर की एक सुबह 20,000 से ज्यादा वैस्टर्न मोनार्क तितलियाँ युकलिफ्टस की एक शाखा पर बैठी हुई थीं, ऐसा लग रहा था किसी ने वृक्ष को नारंगी रंग की लस से सजा दिया है। हर साल इस प्रजाति की तितलियाँ की 30 प्रतिशत आबादी कैलिफोर्निया के पिस्मो बीच पर देखी जाती है। ये तितलियाँ मीलों लम्बा सफर तय करके यहां सदियों बिताने आती हैं। मात्र एक साल पहले ये खुबसूरत तितलियाँ मानो गायब ही हो गई थीं। गत वर्ष पिस्मो बीच पर दो सौ से कम तितलियाँ ही आईं, जो अब तक की सबसे कम संख्या है। समूचे कैलिफोर्निया तट पर 2000 से कम तितलियाँ गिनी गईं। लेकिन इस वर्ष वार्षिक गणना शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा है कि, कैलिफोर्निया के तट पर इनकी संख्या में भारी वृद्धि देखाई देगी। तितलियों की संख्या हालांकि बढ़ी है, पर शोधकर्ताओं का मत है कि संख्या बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि, यह प्रजाति सुरक्षित है, अभी भी इनकी आबादी सामान्य से कम है। जरसीज सोसायटी एक संठन है जो परागणकर्ता कीटों और अन्य कीटों के संरक्षण के लिए काम करता है, इसकी कंजर्वेशन जीववैज्ञानिक एमा पैल्टन ने कहा कि "एक समय था जब कैलिफोर्निया के तट पर 40 लाख से एक करोड़ तक तितलियाँ आती थीं। नब्बे के दशक तक इनकी आबादी घट-घटते मात्र दस लाख रह गई और आगामी दशकों में तो आबादी मात्र 2 लाख रह गई। सन् 2017 की वार्षिक गणना में तो मात्र 30,000 तितलियाँ ही आईं। पैल्टन ने कहा कि मोनार्क जुझारु हैं और अनुकूलन करने में सक्षम हैं पर उनके सामने लगातार चुनौतियाँ आ रही हैं। इस वर्ष थोड़ी ही सही, पर आबादी बढ़ी है इसमें अच्छी बात यह है कि अभी देर नहीं हुई है। इन तितलियों को तेज गर्मी, जंगल की आग और सूखे के साथ-साथ कैलिफोर्निया में तेज बर्फाली तूफानों का भी सामना करना पड़ा है। कुछ तूफान तो इतने तेज थे कि पेड़ उखड़ गए और तितलियाँ जमीन पर गिर गईं। लंबे समय तक इस प्रजाति का अध्ययन करने वाले, वॉशिंगटन स्टेट युनिवर्सिटी के डेविड जेम्स का कहना है कि स्थानीय लोग, मिल्कवीड जैसे पौधे, जो इन तितलियों को प्रिय हैं, उगाकर और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करके इन तितलियों की मदद कर सकते हैं।

जयपुर के ज्वैलर ग्रुप के 50 ठिकानों पर इन्कम टैक्स के छापे

पांच सौ करोड़ रुपये की अघोषित आय के सबूत मिले?

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। आयकर विभाग ने जूलरी और रंगीन रत्नों का निर्माण एवं निर्यात करने वाले जयपुर के एक ग्रुप पर हफ्ते भर तक छापेमारी कर 500 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। ग्रुप के जयपुर एवं आसपास स्थित 50 से अधिक परिसरों में जांच पड़ताल की गई। ग्रुप के स्वामियों ने 72 करोड़ रुपये की अघोषित आय स्वीकार की है। इस जल्ती में 9 करोड़ के आभूषण और 4 करोड़ की नकदी शामिल है। यह ग्रुप सैमी प्रेशस और प्रेशस रत्नों की रफ अफ्रीकी देशों से आयात कर उन्हें जयपुर में तैयार करवाता रहा है। कट व पॉलिशड

स्टोस से अर्जित आय को छिपाया गया और इसके कुछ हिस्से को खाता इस बेहिसाब आय का उपयोग

■ यह ग्रुप अफ्रीकी देशों से सैमी प्रेशस व प्रेशस माल मंगाता था, तथा जयपुर में "प्रोसेसिंग" कराकर विदेश को निर्यात किया करता था।

■ आयकर विभाग का मानना है कि, प्रोसेसड माल, बिना बिल के, नकद रकम लेकर बेचा जाता था। इस अघोषित बिक्री से हुई आय को यह ग्रुप ब्याज पर लगा देता था, नम्बर दो के मार्केट में।

■ ग्रुप ने 72 करोड़ रुपये की अघोषित आय होने की बात तो कबूल कर ली है, तथा छापे के दौरान आयकर विभाग को नौ करोड़ रुपये की ज्वैलरी व 4 करोड़ रुपये नकद भी मिला।

बहियों में दर्ज किए बिना नकद एक फायनेंस ब्रोकर के जरिए नकद बेचकर बेहिसाब आय अर्जित की ऋण उपलब्ध करवाकर ब्याज

कमाने में किया गया। जांच टीम ने नकद ऋणों और अर्जित ब्याज के डिजीटल और दस्तावेजी साक्ष्य बरामद किए। ब्रोकर ने इस तरह के लेन देन होना स्वीकार किया है।

बेहिसाब ऋय एवं विक्रय स्टॉक में अनर, अवास्तविक असुरक्षित ऋण और शेयर एल्टीकेशन मनी संबंधी आपतिजनक साक्ष्य भी पाए गए हैं। इसके अलावा ग्रुप की स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस.ई.जेड) में संचालित इकाइयों के भी दस्तावेज मिले हैं जिससे संकेत मिलता है कि ग्रुप इन इकाइयों से ऊंचे लाभ की घोषणा कर अनुचित कार्यों में लगा था, क्योंकि इन इकाइयों से प्राप्त आय, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है।

कंगना रनौत की टिप्पणियाँ सेंसर हों?

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके, अदालत से अनुरोध किया है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा भविष्य में की जाने वाली सभी सोशल मीडिया पोस्टों को सेंसर किये जाने के निर्देश जारी करे ताकि भारत में कानून-व्यवस्था सम्बंधी समस्याएँ रोकी जा सकें।

एडवोकेट सरदार चरणजीत सिंह चन्द्रपाल ने कंगना के इन्स्टाग्राम की पोस्ट का हवाला दिया है कि "सिख किसान जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उन्होंने 1984 के सिखों के नरसंहार को सही ठहराया है इस टिप्पणी को एक तरह से यह दावा किया गया है कि सिखों को अवांछित मच्छरों की तरह निम्न जाति के रूप माना जाना चाहिए तथा उन्हें इंदिरा गांधी जैसे गुरु की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि ऐसे बयान विभिन्न धर्मों में नस्ल के आधार पर भेदभाव और नफरत पैदा करते हैं। इससे सोशल मीडिया पर

■ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि, कंगना रनौत की सोशल मीडिया पर डाली गयी टिप्पणियाँ, बहुत आपत्तिजनक, भड़काऊ होती हैं, अतः उन पर सेंसर लागू होना चाहिए, नहीं तो, देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

भड़काने वाली, उत्तेजना पूर्ण बहस छिड़ सकती है, यहां तक कि दंगे भी हो सकते हैं। याचिका कहती है कि, ये टिप्पणियाँ ना केवल घृणा फैलाने वाली एवं ईशान्दिता के बराबर है बल्कि इनका इरादा साम्प्रदायिक फसाद करवाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है, ये बेहद अपमानजनक है तथा सिखों को राष्ट्रविरोधी रूप में दर्शाती है। यह निर्दोष सिखों की हत्या को उचित ठहराती है। ये टिप्पणियाँ हमारे देश की एकता के एकदम खिलाफ हैं और अभिनेत्री को इसके लिए कानून के अनुसार गंभीर दंड दिया जाना चाहिए। इन्हें दफ्तार नहीं किया जा सकता है।

क्या ऑमक्रॉन से प्रेरित होकर यात्राओं/फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाना उचित है?

यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने से कोई खास लाभ नहीं है, बल्कि कई देश इस वायरस के बारे में सही जानकारी शेयर करने से कतरायेंगे, और इस वायरस के बारे में रिसर्च करने में अनावश्यक विलम्ब होगा

**-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। ऑमक्रॉन का प्रकोप और फैलाव एक उम्मीद के मुताबित प्रतिक्रिया सामने लाया है क्योंकि विश्वभर के देशों में यात्रा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करने की होड़ मची हुई है। वास्तव में जबसे वायरस के नए स्ट्रेन का पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका से पता चला, विश्व के दर्जनों देशों ने इसकी प्रतिक्रिया यात्रा प्रतिबंधों के रूप में दी है, जिनमें अधिकांशतः दक्षिण अफ्रीका देशों को निशाना बनाया गया है।

लेकिन कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन के प्रति क्या ऐसी अविचारित प्रतिक्रिया न्यायोचित है, यह वह प्रश्न है जिस पर देशों की सरकारों को जरूर विचार करना चाहिए क्योंकि नए स्ट्रेन के अभी शुरूआती दिन ही हैं और इसको लेकर प्रमाणिक रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं किया गया है कि नया वायरस आखिरकार लोगों को किस तरीके से प्रभावित करेगा।

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने यह चेतावनी देनी में तत्परता बरती कि पूर्ण यात्रा प्रतिबंध ऑमक्रॉन के प्रसार को नहीं रोक सकते। ए.एफ.पी. की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य इकाई ने यदि कुछ चेतावनी दी है तो वह यह कि

पूर्ण यात्रा प्रतिबंधों से कुछ अच्छा होने के बजाए नुकसान का जोखिम अधिक है।

डब्ल्यू.एच.ओ. ने एक यात्रा परामर्श में चेतावनी दी कि प्रतिबंधों की वजह से देश इस नए वायरस के डेटा शेयर करने से अन्ततः दूर रहेंगे। लेकिन उसने यह सलाह भी दी कि 60 की उम्र से अधिक के लोगों सहित वैक्सीन नहीं लगवा चुके लोग, जिन्हें कोविड-19 होने का जोखिम है, को वायरस के जन संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा से परहेज करना चाहिए।

डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमुख टेड्रो एडनॉम धेनेयस ने कहा कि उन देशों की बात भी जायज है जो एक ऐसे वैरियंट के प्रति अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसके बारे में हम अब तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं लेकिन उन्होंने तर्क से जोखिम कम करने के तर्क संगत एवं यथानुपात उपाय करने का अनुरोध करते हुए मांग की कि वैश्विक प्रतिक्रिया "शांत, समन्वित और सुसंगत हो।" यात्रा के विस्तृत प्रतिबंधों को

निरर्थकता तब रेखांकित हुई जब नीदरलैंड्स की सरकार ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने 25 नवम्बर को ऑमक्रॉन के पहले केस की पुष्टि की थी, लेकिन उनके देश में यह वैरियंट उससे पहले मौजूद था। डच हेल्थ अथॉरिटीज ने मंगलवार को कहा कि इस वायरस को साथ लायीं दो फ्लाइट्स के आने से पहले नीदरलैंड्स में ऑमक्रॉन उससे पहले से था। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (आर.आई.वी.एम.) ने कहा कि 19 और

23 नवम्बर को लिए गए दो टेस्ट सैम्पल्स में हमें ऑमक्रॉन कोरोना वायरस वैरिएंट का पता चला। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी?

इधर स्वदेश में बहस इस बात को लेकर चल रही है कि ऑमक्रॉन वैरिएंट के प्रति कोविशील्ड फिक्तनी कारगर है। सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के सी.ई.ओ. अदार पूनावाला के अनुसार ऑमक्रॉन के विरुद्ध कोविशील्ड की प्रभावोत्पादकता का पता अगले दो-तीन हफ्तों में

चल जाएगा। पूनावाला ने एन.डी.टी.वी. को बताया कि फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि क्या ऑमक्रॉन अधिक खतरनाक है अथवा नहीं। फिर भी ऑमक्रॉन का ख्याल रखते हुए एक बूस्टर डोज संभव है।

पूनावाला की टिप्पणी "द लांसेट" के एक अध्ययन के बाद सामने आई, जिसमें कहा गया था कि कोविशील्ड डेल्टा वैरिएंट के दौरान भी वायरस का मुकाबला करने में कोविशील्ड काफी कारगर रही थी और इसने मरने व अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम महत्वपूर्ण रूप से कम किया था। उन्होंने कहा कि ऑमक्रॉन के प्रति कोविशील्ड के प्रभावी होने को लेकर अध्ययन भी चल रहे हैं तथा हमें इसके लिए कुछ हफ्तों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर हम एक ऐसी नई वैक्सीन बना सकते हैं, जिसे आगामी छह महीनों में बूस्टर डोज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

तथापि, ऑमक्रॉन वैरिएंट के बारे में अभी काफी कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए वह निर्धारित करने में कई सप्ताह लग सकते हैं कि इससे वैक्सीन से किस हद तक बचा जा सकता है, फिर भी इसने यह जवाब दिया है कि कोविड-19 के विरुद्ध वैश्विक अभी समाप्त नहीं हुई है।

मीडिया पर लगायी गई पाबंदियां!

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन के सभापति को पत्र में इस बात पर "गहरा दुःख" व्यक्त किया है कि लगातार पाँचवें सत्र में संसद की कार्यवाही की कठोरता के मामले में मीडिया का मुँह अप्रत्यक्ष रूप से बंद कर रखा है। खड़गे द्वारा मंगलवार को राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू के सौंपे गये इस पत्र में कहा गया है, "मीडिया प्रतिष्ठानों के केवल मुट्ठी-

■ राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर, मीडिया पर संसद की कार्यवाही रिपोर्ट करने में बाधा बन रही पाबंदियों को हटाने की पुर्जोर् मांग की।

भर प्रतिनिधियों को ही प्रैस-गैलरी में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, सेंट्रल हॉल में वरिष्ठ पत्रकारों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है तथा पत्रकारों को संसद भवन के अहाते में सांसदों के साथ बात करने की अनुमति नहीं है।"

उन्होंने कहा कि अनेक नये ऐसे प्रतिबंध एवं पाबंदियाँ मनमाने तरीके से लगा दी गई हैं, जिनके चलते मीडिया लोकतंत्र के इस मंदिर से पूरी तरह बहिष्कृत हो गया है।

उन्होंने कहा कि संसद देश की राजनैतिक गतिविधियों के तंत्र का केन्द्र हुआ करती है तथा मीडिया ने सदैव ही अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि सदन के पटल पर उठाये जा रहे ज्वलंत सार्वजनिक मुद्दों के बारे में आम जनता को पूरी जानकारी मिलती रहे। खड़गे ने कहा कि बहुत से वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रैस के प्रतिष्ठान, वरिष्ठ सांसदों तथा लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। खड़गे ने सभापति से अनुरोध किया कि वे इस समस्या का समाधान करें, जिससे मीडिया पहले की तरह बिना किसी पाबंदियों के अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहे।

दिल्ली में नहीं मिली इजाज़त अब जयपुर में होगी कांग्रेस की रैली

3 दिसंबर को स्थान तय करने जयपुर आएं वेणुगोपाल और माकन

जयपुर, 1 दिसम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली का आयोजन 12 दिसंबर को दिल्ली की बजाय जयपुर में होगा। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल की ओर से कांग्रेस की रैली की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाली महारैली को राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिफ्ट कर दिया है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिसंबर को जयपुर आएंगे। उसी दिन तय होगा कि जयपुर में यह रैली कहाँ होगी, क्योंकि

जयपुर में एक लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने के लिए फिलहाल नजर में कोई स्थान नहीं है। ऐसे में विद्याधर नगर

महासचिव प्रियंका और सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। महंगाई हटाओ रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता

■ उसी दिन तय होगा कि, जयपुर में यह रैली कहाँ होगी। क्योंकि जयपुर में एक लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा होने के लिए कोई स्थान नहीं है।

■ ऐसे में विद्याधर नगर या किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस रैली का आयोजन कराया जा सकता है।

जयपुर के विद्याधर नगर, मानसरोवर या फिर चौभू हो सकते हैं। हालांकि मानसरोवर में आवासन मंडल की ओर से पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अब प्रस्तावित स्थानों में विद्याधर नगर या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है। अभी जगह को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन रैली में शामिल होने के लिए देशभर से कांग्रेस के करीब 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर आ सकते हैं। महारैली को लेकर तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। स्थान तलाश करने का काम आज से ही शुरू हो गया है और 3 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुआवज़ा

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर वर्ष भर चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरे किसानों के परिवारों को किसी प्रकार के मुआवजे के भुगतान से बुधवार को पल्ला झाड़ लिया। मुगलान को लेकर उनका कहना था कि केन्द्र

सरकार ने सैन्ट्रल विस्टा प्रोजैक्ट का काम जारी रखने के पक्ष में तर्क दिये

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर। केन्द्र ने सैन्ट्रल विस्टा प्रोजैक्ट के निर्माण को जारी रखने को बुधवार को उचित ठहराया तथा एक शपथ-पत्र में सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि इसका निर्माण इसलिये नहीं रोका गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रोजैक्ट है।

दिल्ली के प्रदूषण पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले यह शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को केन्द्र से कहा था कि वह इस बिन्दु पर अपना स्पष्टीकरण दे कि सैन्ट्रल विस्टा प्रोजैक्ट का काम पूरे जोर-शोर से क्यों और कैसे चल रहा है, जबकि इस अदालत ने अपने 24 नवम्बर के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी थी। इस बेंच में दो अन्य जज हैं-न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड तथा सुर्यकान्ता बेंच दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे द्वारा दायर की गई उस याचिका की सुनवाई कर रही है, जो दिल्ली तथा उससे जुड़े क्षेत्रों में हो रहे वायु-प्रदूषण से सम्बन्धित हैं।

केन्द्र ने दावा किया है कि सैन्ट्रल विस्टा के निर्माण कार्य के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोई वायु-प्रदूषण नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोजैक्ट 'कन्दूकशन एंड

डिमांलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स' की अनुपालना कर रहा है। शपथ-पत्र में कहा गया है कि सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट, जो "राष्ट्रीय महत्व" का प्रोजैक्ट है, के अलावा, दिल्ली में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चलाई जा रही निर्माण-सम्बन्धी सभी गतिविधियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वायु-प्रदूषण पर काबू जाने के उद्देश्य से, दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रोक दी गई हैं।

नैशनल कैपिटल रोजन (एन.सी. आर.) में बदतर होती जा रही वायु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 नवम्बर को एन.सी.आर. में निर्माण कार्यों पर दोबारा रोक लगा दी थी। केन्द्र सरकार का सन्दर्भित जवाब उस समय आया है, दुबे की ओर से प्रस्तुत हुये वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जोर देकर कहा कि जब निर्माण सम्बन्धी सारे काम रोक दिये गये हैं, उस समय भी, राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट बेरोक-टोक जारी है।

लेकिन, केन्द्र ने बुधवार को पेश किये गये शपथ-पत्र के जरिये, इसका जवाब देते हुये कहा है कि सरकार सैन्ट्रल विस्टा रिडवलपमेंट के लिये, प्रदूषण ने होने देने वाले सारे उपाय काम में ले रही है, जैसे-पेटी-स्मॉग गन्स, मिस्ट-स्प्रै सिस्टम, मैनीनीशियम क्लोराइड जैसे डस्ट सप्रेसेन्स का उपयोग, निर्माण-सामग्री इधर-उधर लाने-ले जाने के लिये कन्व्ेयर बैल्ट्स का उपयोग तथा पूरी निर्माण-सामग्री को नमीयुक्त स्थिति में रखना आदि।

■ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोजैक्ट जारी रखने का कारण यह बताया कि, यह प्रोजैक्ट राष्ट्रीय महत्व का काम है तथा प्रोजैक्ट को जारी रखते समय वे सभी "प्रिकॉन्शंस" की सख्ती से पालना की गयी, तथा सभी हिदायतें बरती गयीं, जो प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिये लागू की गयी हैं।

जब शीर्ष अदालत ने 29 नवम्बर को केन्द्र तथा राज्य सरकारों से कहा था कि वे, प्रदूषण पर काबू पाने के लिये दिये गये निर्देशों की अनुपालना से सम्बन्धित रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली के छात्र आदित्य

शपथ पत्र में कहा गया है कि अगर बेंच चाहे तो केन्द्र सरकार सैन्ट्रल विस्टा स्थल पर काम में लिये जा रहे प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये भी तैयार है।